विधान परिषद के तृतीय सत्र-2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या-32 का उत्तर।</u>

प्रश्न	उत्तर
32(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने अशासकीय जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनको स्थाई मान्यता प्रदान की गई है?	प्रदेश में कुल-11356 अशासकीय जूनियर हाईस्कूल है, जिनकों स्थाई मान्यता प्रदान की गयी है।
(ख) क्या अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाएं इन विद्यालयों को न प्रदान करने में कौन-कौन सी कठिनाइयॉ हैं?	गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कुल सीट क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के प्रवेशित बच्चों को रू0-450.00 या वास्तविक शुल्क, जो कम हो प्रति माह की दर से शुल्क प्रतिपूर्ति तथा यूनिफार्म पाठय-पुस्तकों एवं अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए प्रति छात्र रू0-5000 की दर से भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में प्राविधानित है कि यदि ''कोई अभिभावक अपने बालक का प्रवेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-2(ढ)(पअ)में परिभाषित विद्यालयों में कराता है, तो वह अधिनियम की धारा-8(1) के परन्तुक में दिये गये प्राविधान के अनुसार उसकी शिक्षा में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

	धारा--8(1) के परन्तुक में निम्नवत् प्राविधान हैः- प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगीः परन्तु जहॉ किसी बालक को, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान रूप से वित्तपोशित किसी विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहॉ ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के उपरोक्त प्राविधानों के कारण गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाए प्रदान नहीं की जा रही है।
(ग) उक्त विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने वाले अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान कितना और कैसे किया जाता है?	स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रत्येक अनुमोदित शिक्षक को 01 जुलाई-1975 से वही वेतनमान, मॅहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मॅहगाई भत्ता देय है जो परिषद के समान पद धारक अध्यापकों को दिया जाता है। मान्यता प्राप्त विद्यालय के कर्मियों का वेतन भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से किया जाता है।

(घ) क्या इस तरह के विद्यालयों में शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों को पूर्व की भॉति अनुदान सूची में शामिल करायेंगे?	गैर सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूलों को अनुदान सूची पर लेने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 499/अड़सठ- 3-2020, दिनांक 14 जुलाई 2020 द्वारा नीति निर्धारित कर दी गयी है कि ''सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किये जाने एवं जो विद्यालय पूर्व में स्थापित है उन्हें आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुए विकसित किया जाना आवश्यक है, जिससे विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस हेतु छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की तैनाती (समायोजन), छात्रों एवं अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, पठन-पाठन का नियमित अनुश्रवण किया जाये जिससे छात्र-छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि हो सके। यदि नये विद्यालयों को अनुदान पर लिया जायेगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार पर वित्तीय व्यय भार पड़ेगा और पूर्व संचालित विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं व शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार हेतु अन्य योजनाएं प्रभावित होंगी। अतः नये निजी विद्यालयों को अनुदान पर लेना उचित नहीं है।'' शासन की उपरोक्त नीति के कारण नए विद्यालयों को अनुदान सूची में नही लिया जा रहा है।

संदीप सिंह
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
बेसिक शिक्षा।